पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 जनवरी, 2018 ई0 (पौष 30, 1939 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर निगम रूड़की, जनपद हरिद्वार

व्यवसायिक लाइसेन्स उपविधि–2017

30 नवम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 838/कर–अनु0/न0नि0रूड़की/2017–18–

परिभाषाः–

1. यह उपविधि नगर निगम रूड़की की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों को नियन्त्रण करने हेतु लाइसेंसिंग/पंजीकरण शुल्क एवं अन्य शुल्क उपविधि वर्ष, 2017 कहलायेगी, जो यह गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
   (क) अधिनियम–अधिनियम का तात्पर्य, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 यथाप्रभावी उत्तराखण्ड से है।
   (ख) नगर निगम सीमा से तात्पर्य–नगर निगम, रूड़की, जो शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र से है।
   (ग) नगर आयुक्त–नगर आयुक्त का तात्पर्य, नगर निगम, रूड़की के नगर आयुक्त से है।
   (घ) मेयर–मेयर का तात्पर्य, नगर निगम, रूड़की के निर्वाचित मेयर (महापौर) से है।
   (ङ) बोर्ड–बोर्ड का तात्पर्य, नगर निगम, रूड़की के बोर्ड से है।
   (च) लाइसेंसिंग पंजीकरण अधिकारी–लाइसेंसिंग/पंजीकरण अधिकारी का तात्पर्य, नगर निगम, रूड़की के नगर आयुक्त एवं जिसे दायित्व सौंपा जायें।
2. नगर निगम, रूड़की की सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति व्यवसाय तभी करने का पात्र होगा, जब उसने इस हेतु नगर निगम, रूड़की, कार्यालय में निर्धारित शुल्क का भुगतान कर लाइसेन्स प्राप्त कर लिया हो।
3. इस नियम/उप नियम के अन्तर्गत लाइसेन्स की अवधि प्रति वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष के लिए वैध होगी।
4. लाइसेन्स जारी करने हेतु लाइसेंसिंग अधिकारी, नगर आयुक्त होंगे या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी (यथा उपनगर आयुक्त/सहायक नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी/कर अधीक्षक आदि) होंगे।
5. प्रत्येक व्यवसायी अथवा उद्यमी को इन उपविधियों के अधीन नगर निगम, रूड़की के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रति वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह से 31 अप्रैल तक लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

Scanned by CamScanner

6. लाइसेन्स अधिकारी को लाइसेन्स निर्गत करने से पूर्व उसके विवेकानुसार व्यावसायिक दुकान/प्रतिष्ठान/हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/एजेन्सी/कम्पनी/प्रशिक्षण केन्द्र आदि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा अथवा लाइसेन्स अधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी जो कि निरीक्षक पद की श्रेणी से कम न हो, की जाँच करने पर ही लाइसेन्स निर्गत करेगा।
7. कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो छूत की बीमारी से पीड़ित हो, वो स्वयं ऐसा व्यवसाय नहीं करेगा और न ही ऐसे व्यवसाय में किसी भी छूत की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को सेवायोजित करेगा।
8. लाइसेंसिंग अधिकारी को इन उपविधियों के अधीन खान–पान से सम्बन्धित व्यवसाय होटल, दुकानों, हलवाईयों, सब्जी विक्रेताओं आदि की दुकानों के निरीक्षण के समय पाई जाने वाली गन्दगी के विरूद्ध अथवा सड़ी–गली फल, सब्जियों को रखने व विक्रय करने के विरूद्ध कार्यवाही करने अथवा मानव अनुपयोगी पदार्थ को नष्ट करने का अधिकार होगा।
9. प्रत्येक व्यापारी को चाहिए कि वह नगर निगम, रूड़की कार्यालय से लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा और व्यवसाय हेतु आवश्यक शुल्क जमा कर लाइसेन्स प्राप्त कर सकेगा।
10. इन उपविधियों के अधीन खान–पान से सम्बन्धित व्यवसायियों, दुकानदारों, व्यक्तियों को अपनी दुकान के अगल–बगल व सामने प्रवेश कक्ष के समक्ष, दुकान का कूड़ा व अन्य अनुपयुक्त गन्दी वस्तुएँ रखने व प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं होगा, जो कि किसी व्यक्ति के लिए सामाजिक दृष्टि से हानिकारक/जनस्वास्थ्य के विपरीत हो।
11. जो लाइसेन्सधारक अपने लाइसेन्स/पंजीकरण का नवीनीकरण फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक नहीं करता है, तो उसे 15 अप्रैल के पश्चात् लाइसेन्स शुल्क पर विलम्ब शुल्क देय होगा। विलम्ब शुल्क, निर्धारित शुल्क ₹ 50.00 प्रतिदिन की दर से लाइसेन्स हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक देय होगा।
12. कोई भी व्यक्ति लाइसेन्सधारक अपना व्यवसाय कम अथवा समाप्त करेगा तो अपना लाइसेन्स निरस्त करने हेतु ₹ 10.00 के स्टॉम्प पेपर पर प्रार्थना–पत्र फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह के पूर्व प्रस्तुत करेगा, जिसमें लाइसेन्स अधिकारी दुकान का निरीक्षण कराकर लाइसेन्स निरस्त करेगा।
13. इस उपविधि के किसी प्राविधान के बारे में राज्य सरकार यदि सन्तुष्ट है कि उपविधि के किसी प्राविधान का दुरपयोग किया जा रहा है अथवा कोई प्राविधान जनहित में नहीं है, तो उक्त प्राविधान को परिष्कृत करके, छूट देने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।
14. नगर निगम सीमान्तर्गत कोई व्यक्ति ऐसी वस्तुओं का व्यवसाय नहीं करेगा, जिस पर राज्य सरकार/शासन द्वारा पूर्ण निषेध किया जा चुका है।
15. इन उपविधियों के प्रभावी होने की तिथि से स्वीकृत नियमावली में लिखित व्यवसायों/उद्यमों से सम्बन्धित पूर्व प्रभावी समस्त लाइसेन्स दर/उपनियम स्वतः समाप्त हो जायेंगे। इस उपनियम के अधीन होंगे।
16. केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य विधिनिहित संस्था के द्वारा निगम में उल्लेखित व्यवसायों के नियन्त्रण हेतु लाइसेन्स इन उपविधियों से भिन्न होंगे।
17. नगर निगम, रूडकी द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसाय करने वाले दुकानदारों के स्वामियों का एक रजिस्टर बनाया जायेगा। उसी के आधार पर वार्षिक लाइसेन्स, प्रपत्र पर जारी किया जायेगा। कोई व्यवसायी निर्धारित अवधि में लाइसेन्स नहीं बनाता है, तो उससे लाइसेन्स की धनराशि वसूली हेतु नगर निगम अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत प्रदत्त प्राविधानों भू–राजस्व की भाँति वसूली करने का अधिकार नगर निगम, रूड़की में सुरक्षित होगा।
18. नगर निगम, रूड़की की सीमा के अन्तर्गत लगने वाले मेले में अस्थाई व्यवसाय की दरें, जो व्यवसाय सूची में नहीं है, उनके लाइसेन्स की दरें नगर निगम, रूड़की के कार्यकारिणी समिति/नगर आयुक्त द्वारा तय की जा सकेगी।
19. कोई भी व्यक्ति नगर निगम, रूड़की सीमा के अन्तर्गत बोझा आदि ढोने अथवा मजदूरी के रूप में किये जा रहे पारिश्रमिक कार्य करने से पूर्व अपनी सत्यापन अभिलेख दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत (सुरक्षा की दृष्टि से) करेंगे। उसके पश्चात् ही वह उक्त कार्य कर सकेगा।
20. नर्सिंग होम/हॉस्पिटल आदि को बॉयोमेडिकल वेस्ट नियम का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।
    (क) शैय्याओं/बेडों हेतु कक्षों (कमरों) की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
    (ख) पर्यावरण और शुद्ध वायु की संतोषजनक व्यवस्था हों।
    (ग) पानी/स्नानघर एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था हो।
    (घ) वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो। जिस हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी समय–समय पर निरीक्षण करेंगे।

Scanned by CamScanner

21. बैंकट हॉल/होटल को नगर निगम के द्वारा स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समय–समय पर बनाये गये नियम व SWM नियम, 2000 का पालन प्रत्येक दशा में करना होगा। वाहनों हेतु पार्किंग होनी चाहिए एवं वाहन फुटपाथ पर खड़े नहीं किये जायेंगे।
22. कोई भी व्यक्ति, जो पशुओं का पालन करता हो तो जिससे वह बोझा ढोने के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता हो तो प्रति पशु का नगर निगम, रूड़की में निर्धारित शुल्क जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उसके पश्चात् ही उक्त प्रकार के पशुओं से बोझा ढोने का कार्य करा सकेगा। पशु के शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण भी देगा, अन्यथा की स्थिति में पशु क्रूरता अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा।
23. नगर निगम मेयर/नगर आयुक्त, या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी को किसी भी समय किसी भी व्यवसाय/दुकान/आदि के लाइसेन्स का परीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
24. नगर निगम द्वारा जारी किये जाने वाले कुछ लाइसेंसों में यदि भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य द्वारा लाइसेन्स/रजिस्ट्रेशन होता हो तो उसके प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही नगर निगम के लाइसेन्स/रजिस्ट्रेशन जारी किये जायेंगे।
25. ट्रान्सपोर्ट/मोटर वाहन, सेल्स एवं सर्विस आदि फुटपाथ/सड़क पर कोई वाहन खड़ा/सर्विस आदि नहीं करेगा।
26. यदि उपर्युक्त लाइसेन्स/पंजीकरण जारी होने से विवाद उत्पन्न होता है, तो नगर आयुक्त के समक्ष उसकी अपील होगी तथा नगर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध आदेश के तिथि के 30 दिवस के अन्दर द्वितीय अपील माननीय नगर प्रमुख के समक्ष की जायेगी। माननीय नगर प्रमुख को 30 दिवस के अन्दर अपील का निस्तारण कर निर्णय देना होगा।
27. कोई भी व्यवसायी सड़क/फुटपाथ पर व्यवसाय करने का पात्र नहीं होगा।
28. पेट्रोल/डीजल ऑयल कम्पनी वितरण स्थल पर वाहन को तेल भराने हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था एवं शौचालय/पानी की व्यवस्था करनी चाहिए।
29. धुलाई/लाण्ड्री, हेतु पानी की निकासी प्राविधानिक तरीके से होनी चाहिए।
30. कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि पर जनरेटर नहीं लगायेगा। जनरेटर इस रीति से लगाया जाय कि वो साउण्ड प्रूफ एवं प्रदूषण मुक्त हो।
31. पशुवध हेतु स्लाटर हाउस नियम, 2000 व समय–समय पर जारी नियमों का पालन करना होगा।

दण्ड

नगर निगम सीमान्तर्गत तैयार की गई उपरोक्त उपविधियों के किसी भाग/अंश का उल्लंघन होने पर ₹ 5000.00 तक अर्थदण्ड किया जा सकेगा। जिसकी वसूली भू–राजस्व की भाँति की जा सकती है, यदि समयान्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त नहीं किया गया है। उल्लंघन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से प्रतिदिन ₹ 50.00 की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा।

लाइसेंसिंग हेतु मदवार दरें निम्नवत् हैं:–

क्र0 सं0	मद का विवरण	निर्धारित दरें (वार्षिक) ₹
1	2	3
1.	वैकट हॉल	10,000.00
2.	होटल, लॉजिंग तथा गेस्ट हाउस, 10 बेड तक	3,000.00
3.	होटल, लॉजिंग तथा गेस्ट हाउस, 11 बेड से 15 बेड तक	4,000.00
4.	बिना स्टार होटल, 16 बेड से 20 बेड तक	5,000.00
5.	बिना स्टार होटल, 21 बेड से 30 बेड तक	8,000.00
6.	बिना स्टार होटल, 31 बेड से 50 बेड तक	10,000.00
7.	होटल, 50 बेड से ऊपर	14,000.00
8.	तीन सितारा होटल	50,000.00
9.	पाँच सितारा होटल	1,00,000.00
10.	रेस्टोरेन्ट	2,000.00
	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम	
11.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/(01–20 बेड तक) (मल्टीस्पेशलिस्ट हॉस्पिटल)	10,000.00
12.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/(21–50 बेड तक) (मल्टीस्पेशलिस्ट हॉस्पिटल)	12,000.00
13.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/(51–100 बेड तक) (मल्टीस्पेशलिस्ट हॉस्पिटल)	16,000.00
14.	हॉस्पिटल/प्रस्तुति गृह/(101 बेड से ऊपर) (मल्टीस्पेशलिस्ट हॉस्पिटल)	20,000.00
15.	पैथोलॉजी	4,000.00

Scanned by CamScanner

1	2	3
16.	अल्ट्रसाउण्ड/सी0 टी0 स्केन/एक्सरे	4,000.00
17.	डायग्नोस्टिक सेन्टर	10,000.00
18.	मेडिकल शॉप/आयुर्वेदिक शॉप	4,000.00
19.	डेन्टल क्लीनिक	6,000.00
20.	प्राइवेट क्लीनिक	6,000.00
21.	यूनानी/आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक क्लीनिक	6,000.00
	परिवहन	
22.	ट्रान्सपोर्ट (बिना वाहन की एजेन्सी)	7,200.00
23.	ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी, वाहन सहित	14,400.00
24.	स्कूटर एजेन्सी, दो पहिया	5,000.00
25.	मोटर वाहन एजेन्सी, सेल्स अथवा सर्विस	10,000.00
26.	साइकिल की दुकान, सेल्स अथवा सर्विस	1,000.00
27.	रिक्शा की दुकान, सेल्स अथवा सर्विस	1,000.00
	पेट्रोलियम	
28.	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प थोक (ऑयल कम्पनी)	10,000.00
29.	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प फुटकर	6,000.00
30.	जनरेटर डीजल व्यवसायिक	2,400.00
31.	दुकान, अन्य पेट्रोलियम पदार्थ, मोबिल ऑयल आदि	2,400.00
	अन्य व्यवसाय	
32.	आटा चक्की	3,000.00
33.	धुलाई गृह	1,000.00
34.	ड्राइक्लीनर/लान्ड्री	1,400.00
35.	साबुन फैक्ट्री	3,000.00
36.	आइसक्रीम फैक्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वॉटर फैक्ट्री	3,000.00
37.	कबाड़ी	4,000.00
38.	चूना भट्टी	1,000.00
39.	1–जूते, कपड़े, शोरूम ब्राण्डेड	10,000.00
	2–जूते, कपड़े, शोरूम नॉन ब्राण्डेड	6,000.00
	3–शॉपिंग मॉल लाइसेन्स	30,000.00
	4–कपड़े, जूते की दुकान	1,000.00
40.	लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेन्ट, ईंट, रेता, पत्थर, मारबल, टाइल्स, सेनेटरी, हार्डवेयर आदि के फुटकर विक्रेता	8,000.00
41.	बिजली का सामान विक्रेता	2,000.00
42.	बेकरी उद्योग व्यवसाय	4,000.00
43.	हेयर कटिंग सैलून	1,000.00
44.	ब्यूटी पार्लर	2,000.00
45.	कुकिंग गैस एजेन्सी	3,000.00
46.	जनरल स्टोर थोक	4,000.00
47.	टेलरिंग हाउस	3,000.00
48.	कोयला थोक विक्रेता	4,000.00
49.	फ्लोर मिल	10,000.00
50.	1–ब्राण्डेड ज्वैलर्स की दुकान	10,000.00
	2–नॉन ब्राण्डेड ज्वैलर्स की दुकान	6,000.00
51.	विज्ञापन एजेन्सी	6,000.00
52.	डेयरी फार्म	4,000.00
53.	भूसा	4,000.00
54.	आर्किटेक्ट, कन्सलटेन्स, विधि चार्टेट एकाउन्टेन्ट, कास्ट एकाउन्टेन्ट	20,000.00
55.	फाइनेन्स कम्पनी, चिट फण्ड	30,000.00
56.	इन्श्योरेन्स कम्पनी, प्रति शाखा	30,000.00
57.	जनरल स्टोर (किराना) विक्रेता	2,000.00

Scanned by CamScanner

1	2	3
58.	बार बियर	30,000.00
59.	आइस फैक्ट्री	6,000.00
60.	टेन्ट हाउस	10,000.00
61.	किताबों की दुकान	4,000.00
62.	टी0वी0, फ्रिज, इलेक्ट्रानिक सामान आदि विक्रेता	12,000.00
63.	फर्टीलाइजर शॉप	2,000.00
64.	मिठाई की दुकान	2,000.00
65.	सब्जी/फल की दुकान	2,000.00
66.	सब्जी/फल की आढ़त	2,000.00
67.	देशी शराब की दुकान	30,000.00
68.	अंग्रेजी शराब की दुकान	50,000.00
69.	फर्नीचर का शोरूम	1,000.00
70.	फर्नीचर की दुकान	4,000.00
71.	स्टोन क्रेशर	30,000.00
72.	साउण्ड डी0जे0 की दुकान	4,000.00
73.	एम्पलीफायर लाइसेन्स	500.00
74.	बैण्ड मास्टर की दुकान	4,000.00
75.	फोटो स्टूडियो/विडियो फिल्म मेकर/साइबर कैफे/विडियो गेम	4,000.00
76.	प्रिन्टिंग प्रेस	10,000.00
77.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, फ्रेन्चाइजी प्राप्त	4,000.00
	अन्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (व्यक्तिगत)	2,000.00
78.	कोचिंग सेन्टर रजिस्टर्ड, फ्रेन्चाइजी प्राप्त	10,000.00
	कोचिंग सेन्टर रजिस्टर्ड (व्यक्तिगत)	6,000.00
79.	मोबाइल टॉवर, प्रति टॉवर	30,000.00
80.	धर्मकाँटा	2,000.00
81.	1–रिक्शा लाइसेन्स, स्वयं का रिक्शा 2–रिक्शा लाइसेन्स, किराया का रिक्शा 3–रिक्शा चालक का लाइसेन्स 4–रिक्शा चालक चिकित्सा शुल्क 5–ई–रिक्शा 6–एम्पलीफायर लाइसेन्स 7–प्रचार शुल्क	600.00 1,000.00 200.00 100.00 2,000.00 300.00 50.00
82.	ताँगा, बुग्गी, हाथ ठेला लाइसेन्स	1,000.00
83.	उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय	200.00
84.	मेला एवं प्रदर्शनी हेतु अस्थाई लाइसेन्स	10.00 प्रति वर्ग मीटर, प्रतिदिन
	जिम/व्यायामशाला/खेल इत्यादि	4,000.00
	सिनेमा हॉल	10,000.00
87.	प्रोपर्टी डीलर	10,000.00
88.	प्राइवेट स्कूल, कक्षा 5 तक (प्राइमरी)	1,000.00
89.	प्राइवेट स्कूल, कक्षा 8 तक (जूनियर हाईस्कूल)	2,000.00
90.	प्राइवेट स्कूल, कक्षा 10 तक (हाईस्कूल)	6,000.00
91.	प्राइवेट स्कूल, कक्षा 12 तक (इण्टरमीडिएट)	10,000.00

अशोक कुमार पाण्डेय,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, रूड़की।

Scanned by CamScanner